न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या- 90/2024

वादीगण :-

1. श्रीमति सरीता पत्नी जगदीश जाति विश्नोई निवासी रावर तहसील बिलाडा
2. राजदीप पुत्र जगदीश नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमति सरीता पत्नी जगदीश जाति विश्नोई निवासी रावर तहसील बिलाडा
3. ज्योति पुत्री जगदीश नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमति सरीता पत्नी जगदीश जाति विश्नोई निवासी रावर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी :-

1. सहीराम पुत्र रुघाराम
2. सोनाराम पुत्र रुघाराम जातियान विश्नोई निवासीगण रावर तहसील बिलाडा
3. श्रीमति इन्दिरा पुत्री रुघाराम पत्नी बलदेव जाति विश्नोई निवासी फिटकासनी तहसील लूणी जिला जोधपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः-वादीगण - श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी सं. 4 - सरकारी पेरोकार।

निर्णय दिनांकः- 01/10/25

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 343/4 रकबा 0.4854 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 343/9 रकबा 1.6261 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 489/1 रकबा 0.2589 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 489/9 रकबा 1.9416 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल रक़बा 4.3120 हैक्टेयर आयी हुयी है। उपरोक्त खातेदारी भूमि का वादी संख्या 1 के ससुर व वादी संख्या 2 से 3 के दादा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता रुधाराम पुत्र सुखराम की थी। इसी प्रकार ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 343/2 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 489/2 रकबा 0.0405 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.0810 हैक्टेयर आयी हुयी है। उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि वादी संख्या के ससुर व वादी संख्या 2 से 3 के दादा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता रुधाराम पुत्र सुखराम का 1/3 वां हक व हिस्सा था। बादीगण तथा प्रतिवादीगण का सजरा खानदान वाद पत्र के पैरा सं. 3 के अनुसार है। उपरोक्त सजरा खानदान के अनुसार वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पूर्वज रुधाराम पुत्र सुखराम जी थे, उनका दावे के पद संख्या 1 में वर्णित सम्पूर्ण भूमि में तथा दावे के पद संख्या 2 में वर्णित भूमि मे 1/3 वां हक हिस्सा है। संयुक्त खातेदार रुघाराम पुत्र सुखराम का देहान्त हो गया, उनके देहान्त का राजस्व रेकर्ड में उनके तीन पुत्र जगदीश, सहीराम, सोनाराम तथा पत्नी लाछकी का नाम स्वीकृत किया गया। संयुक्त खातेदार जगदीश उर्फ जयराम तथा श्रीमती लाछकी उर्फ लच्छकी पत्नी रुघाराम का फौतेदगी नामान्तकरण आज दिन तक राजस्व रेकर्ड मे स्वीकृत नहीं किया गया है। संयुक्त खातेदार जगदीश उर्फ जयराम के प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी उसकी पत्नी वादी संख्या 1 श्रीमती सरीता तथा उसका पुत्र वादी संख्या 2 राजदीप तथा उसकी पुत्री वादी संख्या 3 ज्योति है, इनके अलावा अन्य कोई वारिशान जगदीश उर्फ जयराम के नहीं है। इसी प्रकार संयुक्त खातेदार श्रीमती लच्छकी उर्फ बच्छकी (लाछकी) पत्नी रुघाराम के प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 है। अतः वादीगण जगदीश उर्फ जयराम व श्रीमती लाछकी उर्फ बच्छकी के वारिशान होने के कारण उनकी खातेदारी भूमि को अपने नाम से घोषित कराने के अधिकारी है। वादी संख्या 1 के पति व वादी संख्या 2 से 3 के पिता को घर में लाड प्यार से जयराम पुकारते थे और वादी संख्या 1 के पति व वादी संख्या 2 से 3 के पिता जगदीश का सरकारी दस्तावेज आदि में उसका नाम जगदीश लिखा हुआ है। जब वादी संख्या 1 के ससुर व वादी संख्या 2 से 3 के दादा रुघाराम पुत्र सुखराम फौत हुये तब हल्का पटवारी ने भूल वश उनका फौतेदगी नामान्तकरण में वादी संख्या 1 के पति व वादी संख्या 2 से 3 के पिता जगदीश का नाम जयराम दर्ज कर दिया गया, जबकि वादी संख्या 1 के पति व वादी संख्या 2 से 3 के पिता जगदीश सरकारी दस्तावेजों के अनुसार उसका वास्तविक नाम जगदीश है। इसी प्रकार वादी संख्या 1 की ससुर व वादी संख्या 2 से 3 के दादा रुघाराम पुत्र सुखराम जी फौत हुये तब हल्का पटवारी ने भूलवश या त्रुटीवश उनकी पत्नी लाछकी का नाम फौतेदगी नामान्तरकण मे बच्छकी व लच्छकी दर्ज कर दिया गया, जबकि उसका सरकारी दस्तावेजों के अनुसार उसका वास्तविक नाम लाछकी है। वादी संख्या 1 के पति व वादी संख्या 2 व 3 के पिता जगदीश के देहान्त के बाद तथा वादी संख्या 1 के सास व वादी संख्या 2 से 3 की दादी लाछकी के देहान्त के बाद उनकी खातेदारी भूमि का फौतेदगी नामान्तकरण स्वीकृत कराने हेतु हल्का पटवारी के पास गय और अपने पति, पिता व सास, दादी की खातेदारी भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत कराने हेतु हल्का पटवारी जी से निवेदन किया और अपने सरकारी दस्तावेज पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डायरी आदि दस्तावेज दिये लेकिन हल्का पटवारी ने उपरोक्त दस्तावेज देखकर बताया कि आपके पति व आपके पिता का नाम सरकारी दस्तावेज मे जगदीश लिखा हुआ है, इसी प्रकार हल्का पटवारी ने वादीगण को बताया कि आपकी सास व आपकी दादी का नाम सरकारी दस्तावेज मे लाछकी पत्नी रुघाराम लिखा हुआ है और जमाबंदी ने बच्छकी व लच्छकी दर्ज है, आप दोनों दस्तावेजों की तहसील कार्यालय से शुद्धि कराओं। जिस पर वादीगण तहसील कार्यालय गये और अपने पति व पिता जगदीश तथा सास व दादी लाछकी का फौतेदगी नामान्तकरण स्वीकृत कराने हेतु तहसीलदारजी से निवेदन किया और उन्होंने राजस्व रेकर्ड व सरकारी दस्तावेज देखकर वादीगण को कहा कि आपके पति व पिता जगदीश तथा आपकी सास व दादी लाछकी का जमाबंदी में नाम गलत दर्ज हो गया है, इस कारण आप सक्षम न्यायालय में दावा पेश करके शुद्धि की कार्यवाही को करावे तब न्यायालय निर्णय के अनुसार आपके नाम की भूमि दर्ज की जायेगी। इस कारण वादीगण को राजस्व रेकर्ड में अपने पति व पिता जयराम के स्थान पर जगदीश तथा अपने सास व दादी बच्छकी, लच्छकी के स्थान पर वादीगण के हिस्से की घोषणा व रेकर्ड दुरुस्ती करवाने हेतु का यह दावा पेश करना पड रहा है। वादीगण का पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि सरकारी दस्तावेजों में अपने पति व पिता का नाम जयराम दर्ज किया हुआ है। इसी प्रकार वादी संख्या 1 की सास व वादी संख्या 2 से 3 की दादी लाछकी की खातेदारी भूमि का फौतेदगी नामान्तकरण स्वीकृत की कार्यवाही नही हो पा रही है, जिसके वादीगण अपनी भूमि पर ऋण नही ले सकते है और न ही कोई सरकारी सहायता प्राप्त कर सकते है एवं न ही अपने पिता व पति की खातेदारी भूमि को बैचान इत्यादि कर सकते है। इस कारण वादीगण अपने पिता व पति की खातेदारी भूमि को घोषणा के जरिये शुद्धि करवाने के अधिकारी है। दावे के पद संख्या 2 मे किसी भी संयुक्त पक्षकार का कोई हिस्सा प्रभावित नही होता है, इस कारण दावे मे उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा न ही प्रतिवादी 1 से 3 का कोई हिस्सा प्रभावित होता है। विवादित भूमि पर वादीगण काबिज काश्त करते चले आ रहे है। वाद कारण वादी संख्या 1 के सास व वादी संख्या 2 से 3 की

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

दादी लाछकी का देहान्त दिनांक 15.03.2016 तथा वादी संख्या 1 के पति व वादी संख्या 2 से 3 के पिता जयराम का देहान्त दिनांक 07.03.2019 को हो जाने पर उनके देहान्त का फौतेदगी नामान्तकरण स्वीकृत कराने हेतु हल्का पटवारी व तहसीलदार से सम्पर्क करने पर गये और राजस्व रेकर्ड मे अपने पति व पिता जगदीश का एवं अपने सास व दादी लाछकी की खातेदारी भूमि को अपने नाम से दर्ज कराने हेतु का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी संख्या 4 ने जमाबंदी ने गलत इन्द्राज को दुरुस्त करने से मना कर दिया। वादीगण को वादकारण रावर तहसील बिलाडा में पैदा हुआ, जो निरन्तर जारी है।

अन्त में वादपत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 343/4 रकबा 0.4854 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 343/9 रकबा 1.6261 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 489/1 रकबा 0.2589 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 489/9 रकचा 1.9416 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 4.3120 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में वादी संख्या 1 का 5/48 वां हिस्सा तथा वादी संख्या 2 का 5/48 वां हिस्सा तथा वादी संख्या 3 का 5/48 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 5/16 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 5/16 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/16 वां हिस्सा खातेदारी काश्तकारी का घोषित किया जाने का आदेश फरमायें। इसी घोषित भूमि का राजस्व रेकर्ड में नामान्तकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश फरमाया जावें। ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 343/2 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 489/2 रकबा 0.0405 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.0810 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में वादी संख्या 1 का 5/144 वां हिस्सा तथा वादी संख्या 2 का 5/144 वां हिस्सा तथा वादी संख्या 3 का 5/144 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 5/48 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 5/48 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/48 वां हिस्सा खातेदारी काश्तकारी का घोषित किया जाने का आदेश फरमावें। इसी घोषित भूमि का राजस्व रेकर्ड में नामान्तकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश फरमाया जावें। खातेदार जयराम पुत्र रूघाराम तथा बच्छकी व लच्छकी का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाने का आदेश फरमावें जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 3 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी सं. 4 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रावर तहसील बिलाडा की सीमा में स्थित खसरा नंबर 343/4 रकबा 0.4854, खसरा नम्बर 343/9 रकबा 1.6261 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 489/1 रकबा 0.2589 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 489/9 रकबा 1.9416 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 4.3120 हैक्टेयर आई हुई है। यह भूमि वादी सं. 1 के ससुर वादी सं. 2, 3 के दादा तथा प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पिता रूघाराम पुत्र सुखाराम की थी। इसी प्रकार ग्राम रावर के खसरा नंबर 343/2 रकबा 0.0405 हैक्टयर, खसरा नंबर 489/2 रकबा 0.0405 हैक्टयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.0810 हैक्टयर आई हुई है, जिसमें पूर्व में रूघाराम पुत्र सुखाराम का 1/3 हिस्सा था। रूघाराम पुत्र सुखाराम के फौत होने पर जरिये विरासत नामा. 606 के जरिये रूघाराम के स्थान पर सहीराम, जगराम, सोनाराम पुत्र रूघाराम, लच्छकी पत्नी रूघाराम दर्ज हुआ। पद सं. 1 व 2 में वर्णित खसरा नंबरान में वर्तमान में जमाबंदी चौसाला 2074-2077 के खाता सं. 114 की क्र.सं. 3 पर जयराम पुत्र रूघाराम क्र.सं. 8 पर लच्छकी पत्नी रूघाराम 9 पर सहीराम पुत्र रूघाराम तथा 10 पर सोनाराम पुत्र रूघाराम जाति विश्नोई दर्ज

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

है। जयराम उर्फ जगराम व लच्छकी की मृत्यु हो चुकी है लेकिन विरासत नामा. नहीं भरा गया है। रूपाराम का विरासत नामा० पूर्व में जवाब पैरा सं. 6 के अनुसार सजरा खानदान अनुसार भरा गया था। वादीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में सरकारी/निजी दस्तावेज प्रस्तुत कर जयराम व जगराम का नाम जगदीश होना बताया।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जयराम उर्फ जगराम उर्फ जगदीश व लच्छकी के फौत पर दोनों खातों में इस प्रकार हिस्से व खातेदार रहेंगे।

खाता. सं. 676 – में 1. वादीगण– सरिता पत्नी जगदीश 5/48
राजदीप पुत्र जगदीश 5/48
ज्योति पुत्री जगदीश 5/48
2. प्रतिवादीगण– सहीराम पुत्र रूघाराम 5/16
सेनाराम पुत्र रूघाराम 5/16
इन्दिरा पुत्री रूघाराम 1/16

खाता सं. 144 में – वादीगण– 1. सरिता पत्नी जगदीश 5/144
राजदीप पुत्र जगदीश 5/144
ज्योति पुत्री जगदीश 5/144
प्रतिवादीगण– सहीराम पुत्र रूघाराम 5/48
सेनाराम पुत्र रूघाराम 5/48
इन्दिरा पुत्री रूघाराम 1/48 हिस्से में

खातेदारी घोषणा किये जाने में भूमिधारी की सहमति है। प्रतिवादी की ओर से दावा का खण्डन नहीं होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादीगण ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश जिसे शामिल मिसल किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र सरिता पत्नी जगदीश का पेश किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 खसरा नंबर 343/4, 343/9 ग्राम रावर, प्रदर्श 2 आधारकार्ड, प्रदर्श 3 परिवार राशनकार्ड, प्रदर्श 4 मृत्यु प्रमाण पत्र , प्रदर्श 6 जन आधार कार्ड, प्रदर्श 7 मृत्यु प्रमाण पत्र लच्छकी पत्नी रूघाराम आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के कथनों को दोहरा कर स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम रावर तहसील बिलाडा की सीमा में स्थित खसरा नंबर 343/4 रकबा 0.4854, खसरा नम्बर 343/9 रकबा 1.6261 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 489/1 रकबा 0.2589 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 489/9 रकबा 1.9416 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 4.3120 हैक्टेयर भूमि पूर्व में रूघाराम पुत्र सुखाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थी। खातेदार रूघाराम के फौत होने पर नामा.सं. 606 के जरिये संलग्न सजरा अनुसार वारिसान सहीराम, जगराम, सोनाराम व लच्छकी के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुये। इसी प्रकार ग्राम रावर के खसरा नंबर 343/2 रकबा 0.0405 हैक्टयर, खसरा नंबर 489/2 रकबा 0.0405 हैक्टयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.0810 हैक्टयर भूमि पूर्व में रूघाराम पुत्र सुखाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थी। खातेदार रूघाराम के फौत होने पर नामा.सं. 606 के जरिये संलग्न सजरा अनुसार वारिसान सहीराम, जगराम, सोनाराम व लच्छकी के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुये। वर्तमान में जगराम उर्फ जयराम व लच्छकी की मृत्यु हो चुकी है किन्तु विरासत नामा. नहीं भरा गया है। वादीगण द्वारा जयराम व जगराम का नाम जगदीश होना बताया जिसके साक्ष्य के तौर

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

पर दस्तावेजात प्रस्तुत किये है जिनमें जगदीश पुत्र रूघाराम अंकित है जैसे- आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र तथा मृत्यु प्रमाण पत्र आदि। ग्राम पंचायत रावर द्वारा जारी पत्र के अनुसार जयराम, जगराम व जगदीश को एक व्यक्ति होना बताया। तहसीलदार बिलाडा द्वारा भी प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार जगराम, जयराम व जगदीश को एक ही मानते हुए सहमति प्रदान की है। इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम रावर तहसील बिलाडा की सीमा में स्थित खसरा नंबर 343/4 रकबा 0.4854, खसरा नम्बर 343/9 रकबा 1.6261 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 489/1 रकबा 0.2589 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 489/9 रकबा 1.9416 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 4.3120 हैक्टेयर में वादी सं. 1 का 5/48 हिस्सा, वादी सं. 2 का 5/48 हिस्सा, वादी सं. 3 का 5/48 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 का 5/16 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 5/16 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 का 1/16 वां हिस्सा घोषित किया जाता है तथा इसी प्रकार ग्राम रावर के खसरा नंबर 343/2 रकबा 0.0405 हैक्टयर, खसरा नंबर 489/2 रकबा 0.0405 हैक्टयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.0810 हैक्टयर में वादी सं. 1 का 5/144 हिस्सा, वादी सं. 2 का 5/144 हिस्सा, वादी सं. 3 का 5/144 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 का 5/48 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 5/48 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 का 1/48 वां हिस्सा घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 07/10/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादीगण :– सरिता

बनाम

प्रतिवादीगण :– सहीराम वगैरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
राजस्व वाद संख्या :– 90/2024

निर्णय **दिनांक :–** 01/01/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी सं. 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 4 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम रावर तहसील बिलाडा की सीमा में स्थित खसरा नंबर 343/4 रकबा 0.4854, खसरा नम्बर 343/9 रकबा 1.6261 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 489/1 रकबा 0.2589 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 489/9 रकबा 1.9416 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 4.3120 हैक्टेयर में वादी सं. 1 का 5/48 हिस्सा, वादी सं. 2 का 5/48 हिस्सा, वादी सं. 3 का 5/48 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 का 5/16 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 5/16 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 का 1/16 वां हिस्सा घोषित किया जाता है तथा इसी प्रकार ग्राम रावर के खसरा नंबर 343/2 रकबा 0.0405 हैक्टयर, खसरा नंबर 489/2 रकबा 0.0405 हैक्टयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.0810 हैक्टयर में वादी सं. 1 का 5/144 हिस्सा, वादी सं. 2 का 5/144 हिस्सा, वादी सं. 3 का 5/144 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 का 5/48 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 5/48 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 का 1/48 वां हिस्सा घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

तीज – मुबलिग – बाबत् – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी खर्चा इस मुकद्‌दमे के मय व शरह – तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			दर० तलबाना		
			मीजान		
मीजान					

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते